न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 30/2022 **दायर दिनांकः 22.11.2022**

उनवान

1. जितेन्द्र कुमार आयु 34 वर्ष पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड़
2. उमाशंकर आयु 47 वर्ष पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड
3. हेमराज आयु 50 वर्ष पुत्र रमेशचन्द्र जाति धाकड निवासीगण अचरावा तहसील अटरू जिला बारां।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक कुमार आयु 34 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
2. ललित कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड
3. पंकज कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासीगण अचरावां पोस्ट कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 128 एल0आर0एक्ट
बाबत नक्शा दुरूस्ती

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर

निर्णय

दिनांक 09/02/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 128 भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 420 का ख0नं0 24 का रकबा 0.84 है0 आराजी प्रार्थीगण के दर्ज खाता स्थित हैं। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस

प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। ग्राम एवं माल बडोरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 448 का ख0नं0 2945/24 रकबा 0.69 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 के दर्ज खाता स्थित हैं। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने नक्शा तरमीम (सेग्रीगेशन) करते वक्त प्रार्थीगण का ख0नं0 24 रकबा 0.84 है0 पूरब दिशा में दर्ज कर दिया तथा अप्रार्थीगण का ख0नं0 2945/24 रकबा 0.69 है0 पश्चिम दिशा मे दर्ज कर दिया। जो गलत दर्ज किया है। जबकि मौके पर प्रार्थीगण पश्चिम दिशा की आराजी को काश्त कर रहे तथा अप्रार्थीगण पूरब दिशा की आराजी को काश्त कर रहे हैं। इसलिए ख0नं0 24 का रकबा 0.84 है0 प्रार्थीगण के पश्चिम दिशा में नक्शा तरमीम किया जावे तथा ख0नं0 2945/24 का रकबा 0.89 है० अप्रार्थीगण के पूरब दिशा मे नक्शा तरमीम किया जावे जिसके लिए अप्रार्थीगण भी सहमत हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ख0नं0 24 का रकबा 0.84 है0 प्रार्थीगण के पश्चिम दिशा में नक्शा तरमीम किया जावे तथा ख0नं0 2945/24 का रकबा 0.69 है0 अप्रार्थीगण के पूरब दिशा में नक्शा तरमीम किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवान का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में जैरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य स्वेच्छा में प्रार्थना पत्र 128, 136 एल0आर0एक्ट0में चाहे गये अनुतोष के अनुसार राजीनामा हो गया है तथा प्रार्थीगण का निर्णय राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करवाना चाहते है जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा स्वेच्छा से पेश किया है जिसे स्वीकार किया जावे। नक्शा तरमीम करने में दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाने की कृपा करें।

3. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा की गई तथा अप्रार्थीगण की पहचान श्री लोकेश कुमार गुर्जर एड0 द्वारा की गई जो तस्दीक कर शा0 फा0 किया गया।

4. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा पेश राजीनामा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बडौरा की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073—76 के खाता संख्या 420 के ख0नं0 24 रकबा 0.84 है0 आराजी प्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज है एवं ग्राम बडौरा के खाता संख्या 448 के ख0नं0 2945/24 रकबा 0.69 है0 आराजी अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम बडौरा के ख0नं0 24 व 2945/24 के खसरा नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 24 पूर्व में जबकि ख0नं0 2945/24 पश्चिम दिशा में दर्ज रिकार्ड है। उक्त त्रुटि को अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया है तथा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया गया है। राजस्व रिकार्ड यानी नक्शे में तरमीम के दौरान लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त करने के संबंध में इस न्यायालय की भू0 अभिलेख अधिकारी के रूप में शक्तियों का अवलोकन करना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है—

Sec- 111 LR act- धारा 111 के अनुसार किन्ही सीमाओ के संबंध मे कोई विवाद उत्पन्न हो तो भू—अभिलेख अधिकारी वर्तमान मानचित्रो के आधार पर या ऐसे मानचित्र उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के अनुसार निर्णय करेगा।

Sec- 128 LR act- धारा 128 के अनुसार यदि सीमा पर कोई विवाद नही हो किन्तु सीमाचिन्ह के अभाव मे विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो तो काश्तकार का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा निपटारा किया जायेगा।

Sec- 136 LR act- गलतियो का शुद्धिकरण— धारा 136 के अनुसार यदि किसी राजस्व अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कोई गलती को नोटिस किया जावे तो संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद और किसी पक्षकार अपनी ओर से द्वारा गलती होना जाहिर किया जावे तो भू—अभिलेख अधिकारी द्वारा ऐसी गलतियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुद्ध कर सकेगा।

5. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा आपसी सहमति से पेश राजीनामा दिनांक 30.01.2023 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा आपसी सहमति से पेश राजीनामा दिनांक 30.01.2023 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136, 128 एल0आर0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बडौरा के ख0नं0 24 का रकबा 0.84 है0 की दिशा पूर्व के स्थान पर पश्चिम व ख0नं0 2945/24 रकबा 0.69 है0 की दिशा पश्चिम के स्थान पर पूर्व में निम्नानुसार तरमीम शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है।

वर्तमान स्थिति (Table no 1)

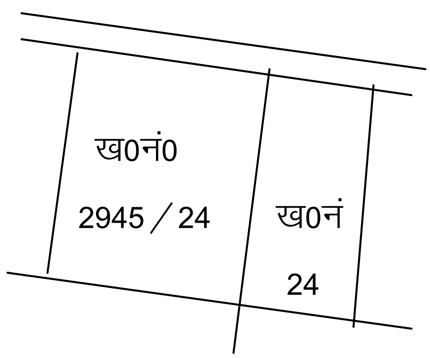

(Table no 2)

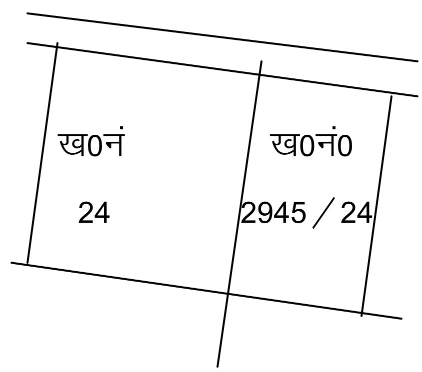

तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है नियमानुसार टीम बनाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में Table no 2 अनुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां